भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2171
15 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पादपों की प्रजातियां

2171. श्री मारगनी भरत:
श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों की टिप्पणियों के अनुसार भारत में पाई जाने वाली 900 प्रमुख औषधीय पादपों की प्रजातियों में से 10 प्रतिशत प्रजातियां 'संकटग्रस्त' श्रेणी में आती हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अत्यधिक दोहन, औषध उद्योग की वन्यजीवों की आबादी पर अत्यधिक निर्भरता, पर्यावास विनाश और शहरीकरण जैसे सूचित कारणों को सुधारने और उनसे निपटने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्तमान में भारत के मूल औषधीय पौधे जिनकी खेती की जा रही है, की प्रतिशतता कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए उनकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) को देश में पादपों की विविधता और औषधीय पादपों सहित उसके प्रलेखीकरण के सर्वेक्षण के लिए अधिदेशित किया गया है। बीएसआई के अनुसार, देश में औषधीय और सुगंधित पादपों की लगभग 8,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उच्च व्यावसायिक मूल्य वाले औषधीय और सुगंधित पादपों की लगभग 76 प्रजातियां अत्यधिक दोहन, वन्य जीव संपदा पर औषध उद्योग की अत्यधिक निर्भरता, पर्यावास विनाश और शहरीकरण आदि के कारण लुप्तप्राय अथवा गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो गई हैं।

औषधीय पादपों की वन संपदा की संरक्षा के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय ने औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्र (एमपीसीडीए) की स्थापना के रूप में औषधीय पादपों को उनके प्राकृतिक पर्यावासों में स्व-स्थाने संरक्षण और जड़ी-बूटी उपवनों/जर्मप्लाज्म बैंक/बीज बैंक आदि की स्थापना करने के रूप में निर्दिष्ट वन क्षेत्रों के बाहर बाह्य-स्थाने संरक्षण के लिए सहायता प्रदान की।
ii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओ ईएफएंडसीसी) ने वनों और औषधीय पादपों सहित उनके घटकों की संरक्षा के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 प्रतिपादित किया।
iii. एमओईएफएंडसीसी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के माध्यम से अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए औषधीय पादपों सहित जैविक संसाधनों और उनसे सम्बद्ध ज्ञान की उपलब्धता को विनियमित करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ग): एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में प्रकाशित भारत में औषधीय पादपों की मांग और आपूर्ति के अध्ययन के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि औषधीय पादपों की लगभग 1178 प्रजातियां वाणिज्यिक उपयोग में हैं, जिनमें से 242 प्रजातियों की अत्यधिक वाणिज्यिक मांग (>100 एमटी प्रति वर्ष) हैं। उक्त अध्ययन के अनुसार यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में कच्ची जड़ी-बूटी औषध के स्रोत की लगभग 15% औषधीय पादप प्रजातियों की खेती की जाती है और 85% वनों से प्राप्त की जाती हैं।

(घ) और (ङ): जी हां। आयुष मंत्रालय ने औषधीय पादपों की खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

i. "राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना" का वर्ष 2008-09 से 2014-15 और राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना का 'औषधीय पादप' घटक 2014-15 से 2020-

21 तक कार्यान्वयन किया गया। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई:

(क) किसान की भूमि पर प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादपों की खेती।

(ख) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उगाने और उसकी आपूर्ति करने के लिए पश्चवर्ती सम्बद्धता के साथ पौधशालाओं की स्थापना।

(ग) अग्रवर्ती सम्बद्धता के साथ फसलोपरांत प्रबंधन।

(घ) प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना आदि।

ii. "औषधीय पादप संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र योजना" का कार्यान्वयन करना जिसके अंतर्गत सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को औषधीय पादपों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) के विकास और उसकी खेती के लिए किसानों को उनका वितरण करने; कृषि तकनीको एवं औषधीय पादप प्रजातियों की किस्मों का विकास करने; औषधीय पादपों के किसानों/उत्पादकों को उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी) और उत्तम खेत संग्रहण पद्धतियों (जीएफसीपी) की संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए परियोजना के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

*****